अपील सूचना अधिकार संख्या 160/2020 (GCMS 2020/00283) मनफूल सिंह ज़ाखड़ निवासी इंदिरा चौक, नई लाईन गंगाशहर, बीकानेर <u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

16.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मनफूल सिंह उपस्थित नहीं हुआ। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.12.2020 को पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. 1 जनवरी 2019 से लेकर दिनांक 31.10.2020 तक के समय में आपके कार्यालय से जो जो चिमनी ईंट भट्टों की स्वीकृतियां जारी हुई, उन स्वीकृतियों के ओदशों की फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां उपललब्ध करावें।
2. 1 जनवरी 2019 से लेकर दिनांक 31.10.2020 तक के समय में आपके कार्यालय में चिमनी ईंट भट्टों ईकाई की स्वीकृति के लिए बरकत अली पुत्र मंजूर अली या मंजूर अली निवासी देशनोक, बीकानेर ने स्वीकृति हेतु फ़ाईल कार्यालय में प्रस्तुत की गई उस फाईल की समस्त दस्तावेजों की फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. बलकत अली/मंजूर अली या मंजूर अली के नाम जो घड़साना पुरानी आबादी से रावला रोड़ ईंट भट्टा अवैध चल रहा है, उस अवैध ईंट भट्टा को तत्काल बंद करने की कार्यवाही जो की गई, जो कार्यालय से जो जो पत्र लिखे गये उन पत्रों की फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें।

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1679 दिनांक 31.12.2020 एवं स्मरण पत्र 297 दिनांक 13.03.2021 से अपील के संबंध में टिप्पणी चाही गई थी, जो आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। उपखण्ड अधिकारी, घडसाना से जवाब प्राप्त नहीं होन के कारण उनके द्वारा कोई निर्णय लिया गया है अथवा नहीं, का ज्ञान नहीं होता जबकि जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:48 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, घडसाना को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय प्राप्ति के 10 दिवस में निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:48 IST
Reason: SelfAttested